

1. अब्दुल रहमान पुत्र श्री सिरदार जाति मेव निवासी ग्राम बैगन हेडी, तहसील तिजारा, जिला अलवर।

---अपीलांत

बनाम

1. आमीन पुत्र श्री चतरा जाति मेव निवासी ग्राम बैगन हेडी, तहसील तिजारा, जिला अलवर।
2. तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर तिजारा, जिला अलवर।

---रेस्पोंडेंट्स

निर्णय

दिनांक 25.08.2021

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर अलवर, द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.01.2008 सं असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्त ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर तिजारा, जिला अलवर ने अपने आदेश दिनांक 09.07.1976 के तहत आराजी मुतनाजा खसरा नम्बर 136 मिन 2 बीघा, खसरा नम्बर 142 रकबा 2 बीघा व खसरा नम्बर 154 रकबा 2 बीघा कुल किता 3 रकबा 6 बीघा वाके ग्राम बैगन हेडी, तहसील तिजारा, का आवंटन मिन अपीलांत के खिलाफ बाला-बाला में रेस्पोंडेंट के नाम किये जाने का आदेश सादर फरमाया था कि जिस आदेश की बाबत मिन अपीलांत को कोई जानकारी नहीं हो सकी तथा जिसका सर्वप्रथम इल्म दिनांक 16.07.2007 को हुआ, जबकि रेस्पोंडेंट विवादित आराजी को मिस मार करने लगा व जे.सी.बी. से तोड़ने लगा तो उस समय रेस्पोंडेंट ने जाहिर किया कि आराजी मुतनाजा मुझे अलॉट हुई है तथा मैंने पट्टा हासिल किया है जिस पर मिन अपीलांत ने दिनांक 17.07.2007 को नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 21.07.2007 को नकल मिली व दिनांक 22.07.2007 को कानूनी सलाह आदि करने व दिनांक 23.07.2007 को का अवकाश हो जाने व दिनांक 24 व 25.07.2007 को पैसों का इन्तजाम करने में व्यस्त रहा तथा दिनांक 26.07.2007 को जगन्नाथ महाराज के मेले का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण अपील दिनांक 27.07.2007 को नेक नियती व सद्भावना से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गई थी एवं उक्त देरी को कन्डोन किये जाने के लिए अलग से प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून मियाद भी पेश किया गया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील को गुणावगुण पर विचार ना करके अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज किया गया है जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.01.2008 बेजा व खिलाफ कानून होन के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने महज रेस्पोंडेंट के द्वारा कथित रूप से प्रस्तुत कर निर्णय दिनांक 24.05.2001 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट तिजारा के आधार पर यह मानते हुए कि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की पहले से जानकारी थी, अपील को बेरुन मियाद मानते हुए खारिज फरमाये जाने का आदेश सादर फरमाया है, कि जो गलत है, अब्बल कथित दस्तावेज पेश किया जाता है तो आदेश-41 नियम-27 जाब्ता दीवानी के प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया जा सकता है एवं जिस पर भी संबंधित न्यायालय को एतराज पेश करने व तरदीद में दस्तावेजात पेश करने का मौका देने के बाद ही कथित दस्तावेज को रिकॉर्ड पर ले सकती है, किन्तु उक्त कथित नकल आदेश दिनांक 24.05.2001 को पेश करने के लिए ना तो कोई प्रार्थना पत्र पेश किया गया और ना मिन अपीलांट को सुना गया और ना ही तरदीद में इस्तावेजात पेश करने का मौका सादर फरमाया गया है, दावा कथित दस्तावेज एक फौजदारी प्रकरण का है कि जो मौजूदा अपील पर लागू नहीं होता है और उसके आधार पर अपील को किसी भी प्रकार से बेरुन मियाद नहीं माना जा सकता था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय उक्त तथ्यों पर किसी प्रकार का गौर नहीं फरमाया गया।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर व माननीय उच्च न्यायालय व माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी नजीयत में यह तय किया गया है कि मियाद के बिन्दु पर नम्र रुख अख्तयार करना चाहिये, चूकिं मौजूदा प्रकरण में अहम कानूनी व वाकेयाती एतराजात है व रेस्पोंडेंट ने कथित आवंटन गलत तौर पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य अंकित करते हुए अपने नाम आवंटन कराया है कि जिस पर विचार फरमाया जाना न्यायहित में आवश्यक है व महज मियाद के बिन्दु पर अपील खारिज फरमाये जाने से मिन अपीलांट को न्याय प्राप्त नहीं हो सकेगा व पक्षकारान के दरमियान भारी विवाद रहेगा कि जो तथ्य काबिल गौर न्यायालय श्रीमान् है। अतः उपरोक्त तथ्यों और हालातों के मददेनजर अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद मानते हुए प्रकरण पर गुणावगुण पर विचार करके अपील का निस्तारण करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने का आदेश सादर फरमाया जावे व अन्य अनुतोश सादर फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट ने अपील के समस्त तथ्य मिथ्या एवं मनगढंत बाद में सोचकर महज अपील को मियाद में ग्रहण कराने के निहित उद्देश्य से अंकित किये हैं, अपीलान्ट को अलॉटमेन्ट दिनांक 09.07.1976 एवं उसके आधार पर जारी सनद पट्टा की जानकारी आरम्भ से ही रही है क्योंकि अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्ट एक ही गांव के निवासी हैं और एक ही जाति से हैं तथा रेस्पोंडेन्ट आवंटित आराजी पर बरोज आवंटन से आज तक काबिज रहकर काशत करता चला आ रहा है और रिकॉर्डेड खातेदार काशतकार है, रेस्पोंडेन्ट का वर्तमान में उक्त आराजी के मौके पर

कब्जा काश्त चला आ रहा है, अपीलान्त आराजी से गैर काबिज व गैर वास्ता शख्स है जिसका कोई सम्बन्ध वास्त या किसी प्रकार का कोई सरोकार किसी भी हैसियत उक्त आराजी से ना तो कभी रहा है और ना ही वर्तमान में है इसलिये अपीलान्त द्वारा जानकारी की दिनांक 16.7.2007 मनमानी अंकित की गई है, देरी का कोई युक्तियुक्त कारण अंकित नहीं किया है बल्कि अपीलान्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष असाधारण विलम्ब 31 वर्ष के विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई थी। उन्होने कथन किया है कि अपीलान्त द्वारा रेस्पोंडेन्ट को हैरान व परेशान करने व मुकदमाबाजी में फसाकर अर्थिक नुकसान कारित करने एवं आराजी से वंचित करने के निहित उद्देश्य से पेश की जो असाधारण विलम्ब से होने के कारण प्रथम स्टेज पर ही खारिज योग्य थी उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को पूर्ण रूप से सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त ही गुणावगुण पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.01.2001 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नहीं है। अतः अपील अपीलान्त खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली एवं अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी का आवंटन रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 को दिनांक 09.07.1976 को किया गया है जिसके विरुद्ध अपीलान्त द्वारा लगभग 31 वर्ष पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर के समक्ष असाधारण विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न सिविल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग तिजारा के निर्णय दिनांक 24.05.2001 के अवलोकन से भी जाहिर होता है कि अपीलान्त द्वारा आराजी खसरा नम्बरान 134, 135, 136, 242 व 235 रेस्पोंडेन्ट के खेत होना बताया है जिससे यह भी स्पष्ट होता है कि अपीलान्त को आवंटन आदेश दिनांक 09.07.1976 की जानकारी पूर्व से ही रही है। ऐसी स्थिति में अपीलान्त की अधीनस्थ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खारिज योग्य ही थी। उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.01.2008 किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.01.2008 को यथावत रखा जाता है।

(दिनेश कुमार यादव)

संभागीय आयुक्त,

जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,

जयपुर।